मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - मध्य प्रदेश शासन हेतु चिकित्सा विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक	ऑनलाइन आवेदन करने की	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-
09/2022/ 17.08.2022	अंतिम तिथि 15.10.2022	पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 27.10.2022

महत्त्वपूर्ण

1- मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेतु चिकित्सा विशेषज्ञों के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापित पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है:-

		अर्हता
1	ई.एन.टी विशेषज्ञ	<u>अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता :-</u> भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा / सी.पी.एस डिप्लोमा अथवा समतुल्य अर्हता अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में सुपर स्पेशलिएटी डिग्री/डिप्लोमा। <u>समतुल्य अर्हता :-</u> भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी। <u>वांछनीय अर्हता :-</u> मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद् में स्थायी पंजीयन।
2	पैथोलॉजी विशेषज्ञ	
3	शल्य क्रिया विशेषज्ञ	
4	रेडियोलोजी विशेषज्ञ	
5	क्षय रोग विशेषज्ञ	
6	नेत्र रोग विशेषज्ञ	
7	शिशु रोग विशेषज्ञ	
8	दन्त चिकित्सा विशेषज्ञ	<u>अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता :-</u> भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री । <u>वांछनीय अर्हता :-</u> मध्यप्रदेश राज्य दंत चिकित्सा परिषद् में स्थायी पंजीयन अनिवार्य ।

<u>रोजगार पंजीयन</u> -

(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम/ आयोग/ बोर्ड/विश्वविद्यालय/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

2- आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र दिनांक 16.09.2022 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 15.10.2022 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in तथा https://mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकते हैं।

3- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र में उल्लेखित भुगतान विवरण से यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क भुगतान हो चुका है। उक्त ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपनी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेखों तथा अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक एवं उपस्थिति-पत्रक (आयोग की वेबसाइट https://mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध) की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय में दिनांक 27.10.2022 तक जमा कराएं। <u>आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं तदनुसार पर्याप्त समय पूर्व आवेदन-पत्र भरें।</u>

4- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में दिनांक 21.09.2022 से दिनांक 17.10.2022 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटिसुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं । त्रुटिसुधार अवधि समाप्त

होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी / वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में अभ्यर्थी से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

5- विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट https://mppsc.mp.gov.in में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही आवश्यक होने पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए e-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर e-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अत: अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने e-mail पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करें ।

6- प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता / अनुभव / वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है, वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है। जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे विभाग को अपनी शिकायत अग्रेषित कर सकते हैं।

7- आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश / आधिक्त भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

8- आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा सेंटर आवंटन हेतु शहर की च्वाइस फीलिंग एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार च्वाइस फीलिंग उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9- प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10- आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना विवर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11- आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार भुगतान प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है। जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है, अतएवं इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12- आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य / दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, अतएव इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13- उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

14- <u>आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।</u>

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन के निम्नलिखित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1	ई.एन.टी विशेषज्ञ	6	3	4	6	2	21	2	1	1	2	1	1	0	0	0
2	पैथोलॉजी विशेषज्ञ	9	6	7	9	3	34	3	2	2	3	1	1	0	1	0
3	शल्य क्रिया विशेषज्ञ	43	25	32	43	16	159	14	8	11	14	5	3	2	2	3
4	रेडियोलोजी विशेषज्ञ	6	4	5	6	3	24	2	1	2	2	1	1	0	0	0
5	क्षय रोग विशेषज्ञ	4	2	2	4	1	13	1	1	1	1	0	1	0	0	0
6	नेत्र रोग विशेषज्ञ	8	4	6	8	3	29	3	1	2	3	1	1	0	1	0
7	शिशु रोग विशेषज्ञ	35	20	25	35	13	128	12	7	8	12	4	2	2	2	2
8	दन्त चिकित्सा विशेषज्ञ	4	2	3	4	1	14	1	1	1	1	0	1	0	0	0

दो पदों का विवरण

01	पद का नाम	:	चिकित्सा विशेषज्ञ
	विभाग का नाम	:	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन ।
	श्रेणी	:	राजपत्रित (प्रथम श्रेणी)
	पदों की स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	रुपए 15600-39100+6600 ग्रेड पे (छठे वेतन आयोग अनुसार । सातवें वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान प्राप्त होंगें।)
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	मरीजों की देखभाल एवं उपचार ।

तीन शैक्षणिक अर्हता : 1. अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता (बिन्दु क्रमांक 01 से 07 तक के पदों हेतु)

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा / सी.पी.एस डिप्लोमा अथवा समतुल्य अर्हता अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में सुपर स्पेशलिएटी डिग्री/डिप्लोमा ।

समतुल्य अर्हता :-

भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी ।

वांछनीय अर्हता :-

मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद् में स्थायी पंजीयन ।

2. दन्त चिकित्सा विशेषज्ञ के पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री ।

वांछनीय अर्हता :-

मध्यप्रदेश राज्य दंत चिकित्सा परिषद् में स्थायी पंजीयन अनिवार्य ।

विशेष:

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15.10.2022 तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए

ग्रेड / पाइंट स्केल का उल्लेख है, तो उन्हें अपने ग्रेड/ पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र / सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/ सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति मे परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

(4) मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकेंगे। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मान्य है अथवा दिव्यांगजन है, अनारक्षित श्रेणी के रूप में विचारित किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि वे क्रीमीलेयर श्रेणी में नहीं आते।

(5) मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

चार मध्य प्रदेश सिविल सेवाएँ (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छः आयु सीमा: 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो ।

सात आयु संगणना तिथि 01.01.2023

आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए परिशिष्ट -1 देखें।

आठ अधिवार्षिकी आयु :- 65 वर्ष

नौ चयन प्रक्रिया :-

चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा । विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया

जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों।

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी । साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा । अनारक्षित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 41% तथा मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे ।

टीप:-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों के पाँच गुना से अधिक होने पर shortlisting के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के पाँच गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। shortlisting हेतु अपनाए जाने वाले आधार यथासमय अधिसूचित किए जाएंगे।

(2) आवश्यक होने पर ही लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी । लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/ उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा । अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा । लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे ।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय "रोज़गार एवं निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा । लिखित परीक्षा की स्थिति में आवेदकों को परीक्षा शुल्क का पृथक से भुगतान करना होगा ।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है ।

दस आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेगें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु <u>परिशिष्ट -2</u> का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे । अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए e-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर e-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही e-mail Address तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें ।

बारह अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(1) आयु सीमा की छूटें <u>परिशिष्ट-1</u>

(2) आवेदन-पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां <u>परिशिष्ट -2</u>

सचिव

(एक) मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा मे अनुज्ञेय छूट

(1) मध्य प्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित)/ दिव्यांगजन आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी ।

(2) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है "मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985" के नियम 2 (ग) में यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटें

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाडियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप:- (1) परिशिष्ट -1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों मे से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(तीन) मध्य प्रदेश के चिकित्सालयों में संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुके संविदा के आधार पर विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु

1. सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त अनुदेशों के अनुसार मध्य प्रदेश के चिकित्सालयों में संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुके संविदा के आधार पर विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों को जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष की संविदा सेवा की है, उनके द्वारा समकक्ष अथवा उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर जितने वर्ष की सेवा की गई है, उतने वर्ष की छूट अधिकतम आयु सीमा में दी जाएगी किन्तु उक्त छूट को सम्मिलित करते हुए उनकी आयु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. उक्त छूट हेतु अभ्यर्थी को उसकी संविदा सेवा की अवधि के प्रमाणन हेतु विहित अधिकारी द्वारा अनुभव प्रमाण-पत्र आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अभिलेखों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक होगा (दिनांक से दिनांक तक प्रारूप में)। अपेक्षित प्रमाण-पत्र/पत्रों के अभाव में अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र निरस्त किया जाएगा।

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट -1 (एक) (1 से 2), (दो) (1 एवं 2) तथा (तीन) मे उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) आवेदकों को उपरोक्त सभी छूटें देय होंगी किन्तु समस्त छूटों को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं है (मध्य प्रदेश के चिकित्सालयों में संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुके विशेषज्ञ अभ्यर्थियों को देय छूट को छोड़कर)।

(चार) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होंगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगें। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

1- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगें -

1. www.mponline.gov.in
2. mppsc.mp.gov.in

2- अभ्यर्थी mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन/ परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें तथा आवेदन-पत्र की भलीभांति जांचकर सुनिश्चित कर लें कि भुगतान हो चुका है। mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in तथा mppsc.mp.gov.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।

3- अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

4- अभ्यर्थी फॉर्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें, जिन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय अपलोड करना होगा। mponline के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है, जिसका उपयोग किया जा सकता है।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्शन न हो तथा आपकी आंखे स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी, हैट तथा डार्क चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाए। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

5- ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ मे अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध अनुदेशों तथा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर तदनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरें।

6- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म मे अंकित की जा रही है, वही प्रमाणिक जानकारी है, अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र submit करें।

7- आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात <u>उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी</u> जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा ।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा, जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा, जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8- त्रुटि सुधार सुविधा :- अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 21.09.2022 से 17.10.2022 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रु. 1000 तथा अन्य श्रेणियों हेतु रु. 2000 निर्धारित है अत: छूट वाली श्रेणियों के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा गैर छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपऐ 1000 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु गैर छूट श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गई श्रेणी/ वर्ग (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/ दिव्यांगता आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा ।

9- आवेदन-पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

(1) आयोग की वेबसाइट https://mppsc.mp.gov.in के Download Format लिंक से अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक, एवं उपस्थिति-पत्रक डाउनलोड करके उनकी पूर्ति करें। पूर्ति पश्चात उक्त प्रपत्रों की क्रमश: तीन, छ: तथा एक छाया प्रति कराएं।

(2) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने तथा शुल्क भुगतान के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित भुगतान विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान हो चुका है। यह भी जांच कर लें कि समस्त प्रविष्टियां सही है (त्रुटि होने पर विहित अवधि मे त्रुटि सुधार कर लें (देखें बिन्दु-8)। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा साथ ही अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, एवं उपस्थिति पत्रक की एक एक प्रति संलग्न करें। (प्रपत्रों की शेष प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि उन्हें आपको साक्षात्कार के समय अपने मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा)

(3) एक बड़े लिफाफे पर निम्न विवरण अंकित कर उक्त सेट (आवेदन-पत्र तथा समस्त अभिलेख) इस बड़े लिफाफे में रखकर पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग को प्रेषित करें।

विज्ञापन क्रमांक 09/2022 दिनांक 17.08.2022

.... विशेषज्ञ, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद हेतु आवेदन-पत्र

	प्रति,
	सचिव
प्रेषक:	मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग,
अभ्यर्थी का नाम	रेसीडेंसी एरिया
तथा पता	इंदौर (मध्य प्रदेश) पिन - 452001

(लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पद/ विभाग का नाम अंकित न होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा)

(4) ध्यान रखें अभिलेखों सहित उक्त आवेदन-पत्र दिनांक 27.10.2022 को सायंकाल 06:00 बजे तक आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जाएगा । आवेदन-पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय (प्रात: 10:00 बजे से सायंकाल 06:00 बजे तक) आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किए जाएंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जाएगी। अभ्यर्थी आयोग को प्रेषित आवेदन-पत्र तथा अभिलेखों का एक सेट अपने पास सुरक्षित रखें।

10- विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त किए जाएंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र आयोग को प्रेषित करें।

11- अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2- आवेदन शुल्क

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 1000/-	रु.2000/-
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त रु. 40/- (जीएसटी सहित) पोर्टल शुल्क देय होगा ।	
• परीक्षा की स्थिति मे परीक्षा शुल्क का भुगतान पृथक से करना होगा ।	
• शुल्क वापसी:- अपरिहार्य कारणों से विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति मे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शुल्क वापसी आवेदन प्राप्त कर आवेदन शुल्क की राशि वापस की जाएगी किन्तु पोर्टल शुल्क की राशि किसी भी स्थिति मे वापस नहीं की जाएगी।	

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो mponline से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज़ करा सकते है :-

हेल्पलाइन - 0755-6720200

नोट : यदि आपको ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :-

(1) मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983

(2) एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड, (मध्य प्रदेश शासन तथा टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज का संयुक्त उपक्रम)
ऑफिस ब्लाक OB-14 से 17, चतुर्थ तल, डी.बी. सिटी कार्पोरेट पार्क,
अरेरा हिल्स, ज़ोन-1 के सामने, एम. पी. नगर,
भोपाल-462011 हेल्पलाइन - 0755-6720200

3- आवेदन की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15.10.2022 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें:-

<u>आयु संबंधी प्रमाण के लिए :-</u> केवल हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंक-सूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

रोज़गार कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण-पत्र :- जिस श्रेणी के अभ्यर्थियों को जीवित रोज़गार पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, वे उपलब्ध होने पर संलग्न करें। उक्त प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

<u>दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :</u> दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021

तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के http:\\www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण-पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधि ।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए । इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ।

संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए । इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। (दिनांक से दिनांक तक प्रारूप में)

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का स्थाई जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि (मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है) द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलाएं विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा |

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र संलग्न करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ------------------ आयोग के विज्ञापन क्रमांक 09/2022 दिनांक 17.08.2022 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मै निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मै --------------पुत्र/पुत्री श्री--------------- निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/------------जिला ----------,मध्य प्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/ करती हूं कि मै --------------जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मै शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित अद्यतन मापदंडों के अनुसार, मै सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूं।

दिनांक :- --------------

हस्ताक्षर--------------

नाम------------------------------

आवेदन-पत्र क्रमांक ------------------------

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्केन्ड प्रति ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थी नवीनतम EWS प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5- जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/ विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/ साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द

कर दी जाएगी।

6- अनुशासनिक निर्देश :- (परीक्षा संबंधी अनुदेश परीक्षा की स्थिति में)

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या

07 परीक्षा कक्ष में अथवा अन्यत्र अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक छति पहुंचाई हो; या

09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमे परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हो; या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार तथा

11 परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु प्राप्त उत्तर-पुस्तिका परीक्षा के समाप्त होने पर परीक्षा कक्ष के वीक्षक / परीक्षक को न जमा करते हुए अपने साथ ले गया हो।

<u>तब आयोग द्वारा :-</u>

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहराया जा सकेगा

और/ या

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

<u>एवं तब शासन द्वारा :-</u>

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7- अनर्हताएँ:- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

8- यात्रा व्यय का भुगतान :-

मध्य प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत नहीं है, मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का भुगतान आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा। आवेदकों को इसके लिए वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबन्धित निम्नांकित अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे :-

(01) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।

(02) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गई है तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा । इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, स्वयं के बैंक खाते का नम्बर, एवं बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।